संख्या-23/2016/वे0आ0-2-412/दस-2016-124(सामान्य)/2010 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
वेतन समिति,
वित्त विभाग,
उ0प्र0लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक : 01 अप्रैल, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 में आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन समिति हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कार्यालय वेतन समिति वित्त विभाग के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2,01,15,000/- (रूपये दो करोड एक लाख पंद्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिए निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये प्राविधानित धनराशि	निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि (हजार रू0)
1	01-वेतन	1296	1296
2	03-महंगाई भत्ता	1763	1763
3	04-यात्रा व्यय	500	500
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	50
5	06-अन्य भत्ते	2590	2590
6	07-मानदेय	5000	5000
7	08-कार्यालय व्यय	700	700
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	600	600
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10	10
10	13-टेलीफोन पर व्यय	200	200
11	14-मोटर गाडियों का क्रय	900	900
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1000	1000
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3000	3000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14	29-अनुरक्षण	200	200
15	42-अन्य व्यय	100	100
16	45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
17	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	600	600
18	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	500	500
19	49-चिकित्सा व्यय	1000	1000
20	51-वर्दी व्यय	6	6
		कुल योग:- 20115/-	20115/
		(रूपये दो करोड़ एक लाख पन्द्रह हजार मात्र)	

(1) उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन मात्र व्यय के लिए अधिकार प्रदान नही करता, अपितु जहॉ कही आवश्यक हों, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105 विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301 वेतन समिति का गठन की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-23/2016/वे0आ0-2-412(1)/दस-2016-124(सामान्य)/2010 टी0सी0,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in